न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

न0 – 262/2025

वान : –

1. मंगलसिंह पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी वासल मोहन तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।
2. सुरजीत पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी वासल मोहन त0 गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।
3. हरजीत पुत्र महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी वासल मोहन त0 गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सुमन पुत्री जनकलाल जाति मेघवाल निवासी 10 एसएसडब्लयू बी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. अमरजीत सिंह पुत्र महेन्द्र जाति बाजीगर निवासी वासल मोहन तहसील गुरूहरसहाय जिला फिरोजपुर पंजाब।
3. उपपंजीयक तहसीलदार तलवाड़ा।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

श्री परमीत सिंह प्रार्थीगण
श्री महावीर वर्मा, करनैल सिंह अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 2 की माता के नाम से चकनं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 में कुल 1.151 है० आराजी अनकमाण्ड थी तथा चकनं० 2 एम. एस. टी.एस.एम. के खाता सं0 9/8 में कुल 2.024 है0 कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है । चकनं० 1 एम. एस. टी. के खाता सं0 17/13 में अंकित 1.151 है० भूमि जो कि वर्तमान में अप्रार्थीया सं० 1 के नाम से दर्ज हो चुकी है। फोटो 'जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 आपस में सगे भाई है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 के पिता महेन्द्रराम व माता जीतो देवी उर्फ ढरीया देवी फौत हो चुके है जिसके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड पर है। फोटो कॉपी मृत्यू प्रमाण पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 के मध्य पूर्व में माननीय न्यायालय में अमरजीत सिह बनाम् मंगलसिह के नाम से वाद विचाराधीन था जिसमें अमरजीत के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का निर्णय होने के बाद अप्रार्थी सं0 2 द्वारा यह जानते हुए कि उसकी माता जीतो देवी उर्फ उर्फ ढरिया देवी फौत हो चुकी है, उसके स्थान पर किसी अन्य औरत को खड़ा करके प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी के बैयनामें अप्रार्थीया सं0 1 सुमन पुत्री जनकलाल के पक्ष में निष्पादित करवा दिये जिसके आधार पर चक नं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17 / 13 मे जरिये नामान्तकरण सं0 372 के आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से दर्ज हो

अधिकारी एवं
क कलेक्टर
टिब्बी

तथा चक नं० 2 एम.एस.टी. एस. एम. के खाता सं0 9/8 में नामान्तकरण सं0 154 कि अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में प्रक्रियाधीन है, जो जमाबन्दीयों में दर्ज है जबकि र्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा का हक व स्सा बनता है। प्रार्थीगण की माता जीतो देवी उर्फ उर्फ ढरिया देवी जो कि 02.11. 013 को फौत हो चुकी है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 जो कि जीतो देवी उर्फ उर्फ रिया देवी के जायज व कानूनी वारीसान है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी र्थीगण की माता की खरीदशुदा आराजी है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 का जन्म हक व हिस्सा बनता है । चकनं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 में कुल 1.151 ० आराजी अनकमाण्ड व चकनं0 2 एम.एस.टी.एस.एम. के खाता सं0 9/8 में कुल 2. 024 है0 कमाण्ड, अ०क० मय गै०मुव आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थीगण के हिस्सा की आराजी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज नही होने से तथा फर्जी बैयनामों के आधार पर अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थीगण अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित 'रहते है। इसलिए प्रार्थीगण घोषणा इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज चक नं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 में बैयनामा के आधार पर दर्ज अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से दर्ज नामान्तकरण सं0 372 में वर्णित आराजी में से प्रार्थीगण प्रत्येक 1/4 हिस्सा के तथा चकनं० 2 एम. एस. टी.एस. एम. के खाता सं0 9/8 में प्रार्थीगण की माता जीतो देवी उर्फ उर्फ ढरिया देवी के नाम की कुल 2.024 है० आराजी में से प्रार्थीगण प्रत्येक 1/4 हिस्सा की आराजी के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर अप्रार्थीया सं0 1 का नाम चक नं० 1 एम. एस.टी. के खाता सं0 17/13 में से कलमजन किया जावे। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 के मध्य पूर्व में माननीय न्यायालय में अमरजीत सिह बनाम् मंगलसिह के नाम से वाद विचाराधीन था जिसमें अमरजीत के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का निर्णय होने के बाद अप्रार्थी सं0 2 द्वारा यह जानते हुए कि उसकी माता जीतो देवी उर्फ उर्फ ढरिया देवी फौत हो चुकी है, उसके स्थान पर किसी अन्य औरत को खड़ा करके प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी के बैयनामें अप्रार्थीया सं० 1 सुमन पुत्री जनकलाल के पक्ष में निष्पादित करवा दिये जिसके आधार पर चक नं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 मे जरिये नामान्तकरण सं0 372 के आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से दर्ज हो तथा चक नं० 2 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 9/8 में नामान्तकरण सं0 154 जो कि अप्रार्थीया सं0 1 के पक्ष में प्रक्रियाधीन है, जो जमाबन्दीयों में दर्ज है जबकि

अधिकारी एवं
ायक कलेक्टर
दिब्बी

र्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा का हक व स्सा बनता है व इसी हक व हिस्सा के अनुसार कब्जा हम प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 पक्ष में चला आ रहा है । प्रार्थीगण की माता जीतो देवी उर्फ उर्फ ढरिया देवी जो कि 2.11.2013 को फौत हो चुकी है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 जो कि जीतो देवी उर्फ र्फ ढरिया देवी के जायज व कानूनी वारीसान है लेकिन प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज क नं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 में अंकित 1.151 है० आराजी जो मान्तकरण सं0 372 के जरिये अप्रार्थीया सं0 1 के नाम से दर्ज हो चुकी है तथा चक ं० 2 एम. एस. टी. एस. एम. के खाता सं0 9ь8 में नामान्तरण सं0 154 जो प्रक्रियाधीन है के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम से दर्ज करवाकर, अप्रार्थी सं0 2 को लाभ हुँचाने के लिए उक्त भूमि को औने पौने दामों में बेचान करने पर आमादा है, अगर अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 अपने इस गलत व विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गये तो हम प्रार्थीगण को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा व हम प्रार्थीगण को नाहक ही मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है । ताईद में हल्फनामा प्रार्थना प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि चकनं० 2 एम.एस. एटी. एस. एम. के खाता सं0 9/8 में अंकित आराजी को प्रक्रियाधीन नामान्तरण सं0 154 के जरिये अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व उक्त आराजी को बेचान करने तथा चक नं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 में अंकित आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा उस पर किसी प्रकार का भार सृजित करने व हम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने व राजस्व रिकार्ड की मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा वाद कतई गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीजी के है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 के यह तथ्य कतई गलत अंकित किये है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 2 की माता के नाम से कोई कृषि भूमि हो । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी जीतो देवी पत्नी महेन्द्रराम जाति बाजीगर निवासी भरूखीरा (बीकानेर) के नाम से दर्ज है जो मुझ अप्रार्थीया द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा खरीदशुदा है। पत्र की चरण सं0 3 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही। मिन अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की चरा सं0 2 में वर्णित आराजी जीतो देवी द्वारा गवाहान उपपंजीयक

धिकारी एवं
क
जी

तवाडा के समक्ष बैयनामा पंजीबद्ध होकर निष्पादित हुआ है। जीतो देवी द्वारा बैयनामा साथ अपने दस्तावेज प्रस्तुत किये है। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व का वाद अमरजीत बनाम् लसिह के नाम विचाराधीन होना बताया गया है वह वाद गलत तथ्यों के साथ पेश या हुआ था जो माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 15.10. 25 को खारीज फरमा दिया गया। प्रार्थीगण ने यह कतई गलत अंकित किया है कि थीगण की माता जीतो देवी उर्फ ढरिया देवी फौत हो चुकी है क्योकि जिस जीतो देवी रा कृषि भूमि मिन अप्रार्थीया को बैचान की गई है वह जीतो देवी जिवित है। प्रार्थना त्र की चरण सं0 2 में वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 का कोई हक निहित ही है न ही वे विधिक वारिसान है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की ता की खरीदशुदा नही है। प्रार्थीगण का यह तथ्य कतई गलत है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीसं0 2 का कोई हक व हिस्सा बनता हो । मिन अप्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित आराजी खातेदार काश्तकार जीतो देवी से प्राप्त की है। पंजीबद्ध बैयनामा फर्जी होने का कोई अन्देशा नही है । मिन अप्रार्थीया का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण भी हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण कोई अनुतोष व घोषणा का वाद पेश करने के अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 के तथ्य कतई गलत अंकित किये है, स्वीकार नही । प्रार्थीगण द्वारा जो शीर्षक में पता अंकित किया गया है वह पंजाब का है, जीतो देवी का असल दस्तावेज भरूखीरा (बीकानेर) का है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 5 में जिस वाद का हवाला दिया गया है वह वाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा खारीज हो चुका है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से खारीज होने के उपरान्त इस न्यायालय को वाद सुनने की अधिकारिता नही रही है। वाद विधि द्वारा वर्जित है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी मिन अप्रार्थीया के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण इस न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। पूर्व का राजस्व वाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ से खारीज होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। मिन अप्रार्थीया द्वारा प्रतिफल देकर वास्तविक जीतो देवी से कृषि भूमि खरीद की है यदि माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति मिन अप्रार्थीया को होगी। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर स्थगन आदेशज्ञ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। मिन अप्रार्थीया के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा उपपंजीयक महोदय, तलवाडा के समक्ष निष्पादित होने के कारण इस न्यायालय को सुनने की क्षेत्राधिकारिता नही है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण सं0 2 की ओर से

जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि चरण सं0 2 में वर्णित आराजी आराजी वास्तविक जीतो देवी के नाम से दर्ज है जो कि मुझ अप्रार्थी सं0 2 की माता के नाम से नही है प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में वर्णित तथ्य कि वास्तविक जीतो देवी द्वारा सुमन पुत्री जनकलाल को कृषि भूमि विक्रय की है प्रार्थीगण व मिन अप्रार्थी सं0 2 का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं हैं चरण सं0 5 के अनुसार पूर्व का वाद माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा निरस्त कर दिया गया है उक्त वर्णित आराजी पर सुमन पुत्री जनकलाल का कब्जा है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने के काबिल नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 2 की माता के नाम से चकनं० 1 एम.एस.टी. के खाता सं0 17/13 में कुल 1.151 है० आराजी अनकमाण्ड थी तथा चकनं० 2 एम. एस. टी.एस.एम. के खाता सं0 9/8 में कुल 2.024 है0 कमाण्ड, अ०क० मय गै०मु० आराजी का बैयनामा अप्रार्थी सं0 1 सुमन के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है। प्रार्थीगण के अनुसार उक्त विवादित आराजी उनकी माता के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज थी व उनकी माता जीतो देवी उर्फ ढरिया देवी का स्वर्गवास पूर्व में हो चूका है जबकि अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में निष्पादित करवाये गये बैयनामा किसी अन्य महिला द्वारा करवाये गये है उक्त वाद भूमि के इस तरह हस्तांतरित करने के कारण प्रार्थीगण के हक हिस्सो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परन्तु प्रार्थीगण का सगा भाई अप्रार्थी सं0 2 के अनुसार बैयनामा निष्पादित करवाने वाली महिला वास्तविक जीतो देवी उर्फ ढरिया देवी है उक्त महिला मुझ अप्रार्थी की माता नहीं है व विवादित आराजी मे हम प्रार्थीगण व मुझ मिकर का कोई हक हिस्सा नहीं होना बताया हैं। माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में भी उक्त विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थीया जीतोदेवी उर्फ ढरिया देवी पत्नी महेन्द्र स्वंय द्वारा अपील सं0 259/2025 प्रस्तुत की गई थी एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2025 को अपील अपीलांट स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2025 निरस्त किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विधिवत रूप से प्रतिफल दिया जाकर उपपंजीयक के समक्ष पंजीबद्व बैयनामा अपने पक्ष में करवाया गया है। पंजीबद्व बैयनामा के आधार पर प्रथम दृष्टया अप्रार्थीया सं0 1 अपने पक्ष में विवादित आराजी का नामान्तरण दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। पंजीबद्व बैयनामा को शून्य अथवा प्रभावहिन घोषित करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य भी अनुसंधान के विषय है जो कि न्यायालय हाजा से संबंधित नहीं होकर सिविल न्यायालय से संबंधित है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन बिन्दू व अपूर्णीय क्षति विरूद्व

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में होना स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण के संबंध में सिविल न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट साबित नहीं होने के कारण खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़